



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253075
CG-DL-E-15032024-253075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]
No. 195]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सं. 07/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 209(अ).—जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “कास्ट एल्युमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हो या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) और जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्षक 8708 70 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 296(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति

निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 7/13/2023-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2023, जिसे 30 सितम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/13/2023-डीजीटीआर, दिनांक 6 जनवरी, 2024, जिसे 6 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:-

- (i) सामान्य मूल्य से कम की कीमत पर विषयगत माल भारत को आयात जारी रहने से विषयगत माल की डपिंग होगी;
- (ii) विषयगत देश से आयात की डपिंग किये जाने से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;
- (iii) डपिंग के जारी रहने की संभावना है और इस स्तर पर यदि मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क को हटाया जाता है तो भारतीय उद्योग को बहुत क्षति होगी,

और विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को हटाया जा सके।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 9 अप्रैल, 2019 जिसे सा.का.नि. 296(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यात किया गया है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है, पर कॉलम (7) में संबंधित प्रविष्टि में दर्शाई गई राशि के बराबर दर पर और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा-

सारणी

| क्रम सं. | उप-शीर्षक | माल का विवरण | मूल देश | निर्यात का देश | निर्माता | कुल धनराशि | इकाई |
|----------|-----------|---|-------------|-----------------------------|--|------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 870870 | कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या मिश्र धातु सड़क पहियों * | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | झेजियांग जिनफेई कैडा व्हील्स कं, लिमिटेड | 0.52 | यूएसडी/कि.ग्रा |
| | | कास्ट | चीन जन. | चीन जन. | झेजियांग शुगुआंग | 0.23 | यूएसडी/कि.ग्रा |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--------------|-----------------------------|---|------|----------------|
| 2 | 870870 | एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या मिश्र धातु सड़क पहियों * | गण. | गण. सहित कोई भी देश | उद्योग कं, लिमिटेड | | |
| 3 | 870870 | कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या मिश्र धातु सड़क पहियों * | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं, लिमिटेड | 0.63 | यूएसडी/कि.ग्रा |
| 4 | 870870 | कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या मिश्र धातु सड़क पहियों * | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | ऊपर क्रम संख्या 1, 2 और 3 के अलावा कोई भी निर्माता। | 1.71 | यूएसडी/कि.ग्रा |
| 5 | 870870 | कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या मिश्र धातु सड़क पहियों * | कोई अन्य देश | चीन जन. गण. | कोई | 1.71 | यूएसडी/कि.ग्रा |

* मोटर वाहनों में उपयोग किए जाने वाले कास्ट एल्यूमीनियम एलॉय व्हील या एल्यूमीनियम एलॉय रोड व्हील (ARWs), चाहे सहायक उपकरण के साथ जुड़े हों या नहीं, व्यास में 12 इंच से 24 इंच तक के आकार के होने चाहिए। 12 इंच से 24 इंच व्यास के अलावा अन्य एआरडब्ल्यू और दोपहिया वाहनों के लिए बने एआरडब्ल्यू इस उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है) तक लागू रहेगा और इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू प्रतिपादन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/36/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

No. 07/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 209(E).—Whereas, the designated authority, vide notification number 7/13/2023-DGTR, dated the 30th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th September,

2023, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) used in Motor Vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-heading 8708 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 17/2019-Customs (ADD), dated the 9th April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 296(E), dated the 9th April, 2019;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification number 7/13/2023-DGTR, dated the 6th January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 6th January, 2024, has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods continue to be exported to India at prices below the normal value, resulting into dumping of the subject goods;
- (ii) dumped imports from subject country are causing injury to the domestic industry;
- (iii) there is likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the Indian industry in the event of cessation of the existing anti-dumping duties at this stage,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 17/2019-Customs (ADD), dated the 9th April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 296(E), dated the 9th April, 2019, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (7), in the unit as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

| Sl. No. | Sub-heading | Description of goods | Country of origin | Country of export | Producer | Amount | Unit |
|---------|-------------|---|-------------------|--------------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 870870 | Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels* | China PR | Any country including China PR | Zhejiang Jinfei Kaida Wheels Co., Ltd. | 0.52 | USD/KG |
| 2 | 870870 | Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels* | China PR | Any country including China PR | Zhejiang Shuguang Aluminium Industry Co., Ltd. | 0.23 | USD/KG |
| 3 | 870870 | Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels* | China PR | Any country including China PR | Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd. | 0.63 | USD/KG |
| 4 | 870870 | Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels* | China PR | Any country including China PR | Any producer other than at serial no. 1, 2 and 3 above. | 1.71 | USD/KG |
| 5 | 870870 | Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels* | Any other country | China PR | Any | 1.71 | USD/KG |

*Cast Aluminium Alloy Wheels or Aluminium Alloy Road Wheels (ARWs) used in Motor Vehicles, whether or not attached with accessories, of a size in diameter ranging from 12 inches to 24 inches. ARWs other than 12 inches to 24 inches in diameter and ARWs meant for two-wheelers are out of this product scope.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/36/2024-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.